न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः—130/2018 (जीसीएमएस नं. 2018/00164)

1. नाथूलाल मीना पुत्र स्व. श्री नहनूराम मीना आयु 62 वर्ष, जाति मीना निवासी ग्राम श्रीराम गोपालपुरा, पोस्ट नीमला तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः—

1. पं. राजेन्द्र डागरवाड़ा, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः 07.12.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी के पिता स्व. नहनूराम पुत्र श्योबक्श के कब्जे काश्त में सिवाय चक भूमि आराजी खसरा नम्बर पुरान 68 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा सिवायचक बिना लगानी जिसके हाल परिवर्तित खसरा नम्बर 115 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम श्रीराम गोपालुरा हल्का नीमला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है जिस पर अपीलान्ट के पिता का कदीमी से कब्जा चला आ रहा था तथा अपीलार्थी के पिता उक्त भूमि पर कब्जा काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उन्होने आगे कथन कियया है कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार सम्वत् 2026 से आज दिवस तक अपीलान्ट के पिता व अपीलार्थी का कब्जा काश्त उक्त भूमि पर है तथा वर्ष 1999 में आवंटन सलाहकार समिति जमवारामगढ द्वारा दिनांक 30.06.1999 को उक्त भूमि का आवंटन कब्जे के आधार पर आवंटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी ओमर, सदस्य माताराम रिणवां, तहसीलदार जमवारामगढ सुरेश चन्द्र आर्य, विकास अधिकारी जमवारामगढ व श्रीमती हरबाई सरपंच नीमला की उपस्थिति में पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर अपीलान्ट के पिता स्व. नहनू पुत्र श्योबक्श के नाम आवंटित की गई जो आवंटन सलाहकार समिति के रजिस्टर के क्रमांक 1 पर खसरा नम्बर 68 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा का आवंटन किया गया जो अंकित है।

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त आवंटन के पश्चात् पटवार हल्का नीमला द्वारा तहसीलदार के आदेश क्रमांक भू.अ./99/4220 दिनांक 27.12.1999 के अनुसरण में गैर खातेदारी का नामान्तरकरण भरकर गिरदावर आंधी के समक्ष दिनांक 29.12.1999 को प्रस्तुत किया गया जिसको गिरदावर द्वारा गलत तरीके से रिपोर्ट दिये जाने पर तहसीलदार ने अपीलान्ट के हक में खोले गये उक्त गैर खातेदारी नामान्तरकरण दिनांक 29.12.1999 को तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा दिनांक 03.08.2005 को अपीलान्ट को बिना किसी सूचना व सुनवाई के निरस्त कर दिया जिसकी जानकारी राजस्व रिकार्ड दिनांक 13.05.2016 को अपीलान्ट द्वारा हल्का पटवारी से प्राप्त करने पर हुई जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने एक अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के समक्ष पेश की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरित कानून की अनदेखी कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2018 पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि गिरदार की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना किसी सूचना के गैर खातेदारी का नामान्तरकरण निरस्त करने से पूर्व विभागीय आदेश दिनांक 23.05.1989 का भी अध्ययन नही किया गया जिसके अनुसार आवंटन से पूर्व भूमि का किस्म परिवर्तन किया जाना आवश्यक नही माना जबकि तहसीलदार ने अपना आदेश किस्म परिवर्तन नही होने के आधार पर अपीलान्ट का आवंटन गैर खातेदारी निरस्त किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.1999 को अन्य कब्जेधारियों को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि आवंटित की गई, तत्पश्चात् उक्त भूमि की रिपोर्ट गिरदावर द्वारा सही मानकर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा तहसीलदार ने अन्य व्यक्ति हरिनारायण और कमलेश निवासी नीमला जो आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित की गई भूमि के आवंटी थे जिनको जो भूमि आवंटित की गई थी वह भूमि भी गैर मुमकिन राडा थी जिसका तहसीलदार ने उक्त लोगो के नाम नामान्तरकरण सही मानते हुए किये है जबकि अपीलान्ट का नामान्तरकरण इसी आधार पर निरस्त किया कि उक्त भूमि गैर मुमकिन राडा होने के कारण आवंटन नही की जा सकती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त व्यक्तियों के नाम आवंटितशुदा भूमि का उन व्यक्तियों के नाम तहसीलदार द्वारा खातेदारी का खोला गया नामान्तरकरण की प्रतियॉ भी अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष फर्द के साथ में प्रस्तुत की गई थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तरकरणों का अध्ययन करना, और अपने निर्णय में उक्त तथ्यों का कोई उल्लेख करना भी उचित नही समझा। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने दोहरा मापदण्ड अपनाकर मनमाना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2018 व तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.2005 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के हक में आवंटितशुदा भूमि का नामान्तरकरण किये जाने की आज्ञा सादिर फरमावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण भूमि आवंटन के समय भूमि की किस्म परिवर्तित नही होन से नियमानुसार अस्वीकृत किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 11 वर्ष के उपरान्त नामान्तरकरण की अपील प्रस्तुत की गई तथा उनके द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में उक्त विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने का कोई सन्तोषजनक कारण भी स्पष्ट नही किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2018 विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभययपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 30.06.1999 को अपीलान्ट व अन्य व्यक्ति कमलेश चन्द पुत्र नाथूराम व हरिनारायण पुत्र सुल्ताना को भी आवंटित भूमि की किस्म गैर.मुमकीन राडा से बारानी अंकित है जिन आवंटितयों के गैर खातेदारी के नामान्तरकरण तहसीलदार द्वारा स्वीकार किये गये है जबकि अपीलान्ट का नामान्तरकरण खारिज किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट एवं अन्य व्यक्तियों को आवंटित भूमि के तथ्य एक जैसे होने के उपरान्त भी तहसीलदार द्वारा गैर खातेदारी के नामान्तरकरण की कार्यवाही में दोहरा मापदण्ड अपनाया गया है जो विधि सम्मत नही है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अपीलान्ट का उक्त नामान्तरकरण आवंटन आदेश दिनांक 30.06.1999 की पालना में भरा गया था तथा उक्त आवंटन आदेश को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित किये जाने सम्बन्धी कोई जानकारी अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष नही रही है ऐसी स्थिति में आवंटन आदेश की पालना में भरे गये नामान्तरकण को निरस्त करने के ठोस कारण तहसीलदार के समक्ष उपलब्ध नही थे उसके उपरान्त भी अपीलान्ट के गैर खातेदारी नामान्तरकरण को निरस्त किया गया है जो विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2018 पारित किया गया है जो विधि सम्मत नही है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2018 एवं नामान्तरकरण संख्या 168/1 वाके ग्राम श्रीरामगोपालपुरा पर तहसीलदार जमवारामगढ जिला

जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.2005 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का पुनः गुणावगुण पर निस्तारण किया जावें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।